

U/S 212 RTA

02.11.2020

यह प्रार्थना पत्र डूंगरराम ने जरिये श्री पुनमचन्द्र मारु अधिवक्ता के मार्फत पेश किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने अंतरिम निषेधाज्ञा की प्रार्थना की जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता को इकतरफा सुना गया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अंतरिम निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि खेत खसरा नम्बर 1129 तादादी 4.37 हैक्टर वाके रोही ठुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ में उभय पक्षकारान आगामी तारीख पेशी तक मौके की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थीगणों को अगर इसमें कोई आपत्ति हो तो जरिये असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर तारीख पेशी दिनांक 06.11.2020 को आकर पेश करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हों। अप्रार्थीगणों को जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब कर पत्रावली आयन्दा दिनांक 06.11.2020 को पेश हों।

*(Signature)*  
 उपखण्ड अधिकारी  
 श्रीडूंगरगढ

6.11.2020

पत्रावली पेश हुई। वाकी अपरिमत। उतिवादी  
 प.०.१५० की तरफ से अधिवक्ता। राजुराम वानाद्वारा  
 दिनांक 16.10.2020 में के विमट ५ (मिना) पर अन्तर्गत  
 च्यारो 148 के रिवाविल ५ (मिना) (पं.दिता) 1908 का रूप  
 में पेश किया हुआ है। सदस्य खुनी ३२ मि विमट  
 ५ (मिना) पर २ (मिना) पत्रावली है। दिनांक 2.11.2020  
 को जारी अंतरिम निषेधाज्ञा को रवारिज किया  
 जात है। पत्रावली वास्ते ललवी हेतु अरिन्द्या  
 दिनांक 18.12.2020 को पेश है।

*(Signature)*

18.12.2020

P.O. 150 R/O मिना हेतु वा अनेटा च्यार है।  
 पत्रावली पेश हुई। वकालत ..... वकील फरीकेन  
 उपस्थित। ल.ल.वा. .... पेन नाम चहा। समय  
 दिनांक 10.2.2021 को पेश है।

*(Signature)*  
 2152



हुकम या कार्यवाही मय इनीशयल्स जज


नम्बर  
अहकाम  
हुकम की  
जारी हुए

तारीख  
हुकम

10-2-2024

10/2/2024  
1-1

पभावली प्रेश डुरी। वकालत वादी उपरिष्ठा  
वादी द्वारा भूल वाद नोटिस किमा ज्ञा  
उका है। अतः प्रार्थना पर का भव करि आम्प  
नही रहा है। प्रार्थना पर रसी रनेज पटर वारिज  
किमा जात है। पभावली प्रखल व सुमादकोज  
शामिल शज्द है।

  
(दिवा)  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीद्वारगढ़ (बीकानेर)